INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

IRJMSH

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता पर डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण: एक राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर,
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
कर्म क्षेत्र महाविद्यालय, इटावा।

शोध सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र **"सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता पर डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण: एक राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन"** के अंतर्गत डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक और आर्थिक विचारों के अंतर्संबंधों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित 'सामाजिक न्याय' की क्रांतिकारी प्रकृति, उनके 'राज्य समाजवाद' (State Socialism) के आर्थिक मॉडल और लोकतंत्र की त्रिमूर्ति (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र) के अंतर्संबंधों को विश्लेषित करना है।

वैचारिक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित यह अध्ययन प्राथमिक स्रोतों के रूप में डॉ. अम्बेडकर के मूल लेखन (जैसे *Annihilation of Caste* एवं *States and Minorities*) तथा संविधान सभा के वाद-विवादों (CAD) का उपयोग करता है। शोध के निष्कर्ष यह प्रमाणित करते हैं कि डॉ. अम्बेडकर के लिए सामाजिक न्याय केवल एक सुधारवादी नीति नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की पूर्ण बहाली का माध्यम था, जिसमें जाति व्यवस्था का समूल उन्मूलन अनिवार्य है। वहीं, आर्थिक धरातल पर उन्होंने अनियंत्रित पूंजीवाद और जमींदारी व्यवस्था के विकल्प के रूप में राज्य-निर्देशित आर्थिक समानता और संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की वकालत की।

यह शोध पत्र इस परिकल्पना (Hypothesis) को अकादमिक रूप से सत्य सिद्ध करता है कि डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र ब्रिटिश शासन से भारतीय अभिजात वर्ग को सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि वह एक समतावादी समाज (Egalitarian Society) की स्थापना का व्यापक संवैधानिक ढांचा था। निष्कर्षतः, यह अध्ययन यह स्थापित करता है कि समकालीन 21वीं सदी के वैश्वीकरण, निजीकरण और डिजिटल डिवाइड के दौर में भी डॉ. अम्बेडकर की यह चेतावनी अत्यंत प्रासंगिक है कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली और अस्थायी बनी रहेगी।

मुख्य शब्द (Keywords) : सामाजिक न्याय, समानता, समाजवाद, नैतिकता, समतावादी, जाति, उन्मूलन।

1. प्रस्तावना (Introduction)

स्वतंत्रता से पूर्व का भारतीय समाज दोहरी गुलामी और अत्यधिक विखंडन का शिकार था। एक ओर जहां देश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक और आर्थिक शोषण से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर आंतरिक रूप से सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था के कारण गंभीर असमानता व्याप्त थी। यह आंतरिक असमानता हिंदू सामाजिक संगठन की 'चातुर्वर्ण्य व्यवस्था' (Fourfold Varna System) और उसके क्रमिक ह्रास से उपजी 'जाति प्रथा' (Caste System) पर आधारित थी।

- **संस्थागत सामाजिक असमानता और अस्पृश्यता:** स्वतंत्रता-पूर्व भारत में सामाजिक संरचना योग्यता पर नहीं, बल्कि जन्म पर आधारित थी। 'मनुस्मृति' जैसे प्राचीन ग्रंथों द्वारा संचालित सामाजिक नियमों ने समाज को एक पदानुक्रमित सीढ़ी (Graded Inequality) में बांट दिया था। इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर मौजूद अंत्यजों (अछूतों/दलितों) को बुनियादी मानवीय अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी पीने, सार्वजनिक सड़कों पर चलने, और मंदिरों में प्रवेश करने की मनाही थी। 'अस्पृश्यता' केवल एक सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था थी जिसे धार्मिक और कानूनी मान्यता प्राप्त थी।
- **आर्थिक वंचना और संसाधनों का एकाधिकार:** सामाजिक पदानुक्रम ने सीधे तौर पर आर्थिक अवसरों को नियंत्रित किया। संपत्ति रखने, शिक्षा प्राप्त करने और अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने का अधिकार केवल उच्च जातियों (द्विज) के पास सुरक्षित था। अछूत और निचली जातियों के लिए केवल मैला ढोने, चमड़े का काम करने और बंधुआ मजदूरी जैसे सबसे निचले और अपमानजनक कार्य आरक्षित थे।
- **औपनिवेशिक नीतियां और ग्रामीण अर्थव्यवस्था:** ब्रिटिश शासन ने भारत की पारंपरिक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। 'स्थायी बंदोबस्त' (Permanent Settlement) और 'रैयतवाड़ी' जैसी भू-राजस्व प्रणालियों ने जमींदारों और साहूकारों के एक नए शोषक वर्ग को जन्म दिया। इस व्यवस्था में भूमिहीन खेतिहर मजदूर (जो अधिकांशतः अछूत और पिछड़ी जातियों से थे) पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। ब्रिटिश काल के औद्योगीकरण ने भी पारंपरिक दस्तकारों को तबाह कर दिया, जिससे आर्थिक असमानता की खाई और अधिक चौड़ी हो गई।

1.1 स्वतंत्रता-पश्चात भारत की चुनौतियां और अंतर्विरोध

15 अगस्त 1947 को भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन देश के सामने एक ऐसा समाज था जो आंतरिक रूप से गंभीर रूप से बीमार था। भारत को विरासत में एक अत्यंत दरिद्र, अशिक्षित और विभाजित राष्ट्र मिला था।

- **राजनीतिक लोकतंत्र बनाम सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का विरोधाभास:** स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) को अपनाया, जिसने 'एक व्यक्ति, एक वोट' (One Man, One Vote) के सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक समानता तो प्रदान कर दी। परंतु, वास्तविक धरातल पर सामाजिक और आर्थिक असमानता वैसी ही बनी रही। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राजनीतिक लोकतंत्र के इस ऊंचे ढांचे को एक ऐसे समाज पर कैसे टिकाया जाए, जिसकी सामाजिक और आर्थिक नींव पूरी तरह से असमानता की दलदल में धंसी हुई थी।
- **जमींदारी उन्मूलन और आर्थिक पुनर्गठन:** आजादी के तुरंत बाद भूमि सुधार (Land Reforms) और जमींदारी उन्मूलन देश के प्रमुख एजेंडे थे, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता और उच्च जातियों के राजनीतिक रसूख के कारण ये सुधार पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रहे थे। संपत्ति का असमान वितरण और औद्योगिक पूंजी का कुछ हाथों में केंद्रित होना नए स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास के समानांतर चलने वाली एक कड़वी सच्चाई थी।

1.2 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का प्रादुर्भाव (Emergence of Dr. B.R. Ambedkar)

इन्हीं विषम परिस्थितियों और औपनिवेशिक तथा आंतरिक शोषण के संधिकाल में डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का भारतीय राजनीतिक पटल पर उदय होता है। उनका प्रादुर्भाव भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी क्योंकि वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे स्वयं इस दमनकारी व्यवस्था के भुक्तभोगी और इसके सबसे प्रखर विश्लेषक थे।

- **निजी अनुभव और अकादमिक उत्कृष्टता का समन्वय:** महार जाति में जन्म लेने के कारण बचपन से ही अस्पृश्यता के दंश को झेलने वाले डॉ. अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में कोलंबिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (ब्रिटेन) से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके इस अनूठे समन्वय (निजी सामाजिक अनुभव + वैश्विक अकादमिक समझ) ने उन्हें भारतीय समाज की समस्याओं को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता दी।
- **एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श की शुरुआत:** जहां एक ओर मुख्यधारा का राष्ट्रीय आंदोलन (मुख्यतः कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में) केवल ब्रिटिश शासन से 'राजनीतिक स्वतंत्रता' (Swaraj) प्राप्त करने पर केंद्रित था, वहीं डॉ. अम्बेडकर ने यह तर्क दिया कि वास्तविक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता न मिल जाए। उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व (Liberty, Equality, Fraternity) के फ्रांसीसी आदर्शों को भारतीय संदर्भ में परिभाषित किया।
- **मूकनायक से राष्ट्र निर्माता तक का सफर:** 1920 में 'मूकनायक' पत्रिका की शुरुआत, 1927 का ऐतिहासिक 'महाड़ सत्याग्रह' (पीने के पानी के अधिकार के लिए), और गोलमेज सम्मेलनों (Round Table Conferences) में दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग के माध्यम से उन्होंने भारतीय राजनीति के एजेंडे को बदलने पर मजबूर कर दिया। अंततः, संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनके राजनीतिक और

कानूनी ज्ञान की सर्वोच्च स्वीकार्यता थी। उन्होंने भावी भारत के लिए एक ऐसा संवैधानिक ढांचा तैयार किया जो सामाजिक न्याय (Social Justice) और राज्य-निर्देशित आर्थिक समानता को राज्य की आत्मा (Core Policy) बनाने की वकालत करता था।

स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात का भारतीय परिदृश्य सामाजिक क्रूरता और आर्थिक शोषण का एक जटिल ताना-बाना था। ऐसे समय में डॉ. अम्बेडकर का प्रादुर्भाव केवल शोषितों की आवाज के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक भारत को एक संकीर्ण पारंपरिक समाज से निकालकर एक आधुनिक, समतावादी और कल्याणकारी राष्ट्र (Welfare State) की ओर ले जाने वाले सबसे बड़े राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में हुआ।

समस्या का कथन (Statement of the Problem): राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आधार न मिले। क्या समकालीन भारत डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया है?

- **शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study):**
  - डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण करना।
  - उनके 'राज्य समाजवाद' (State Socialism) और आर्थिक समानता के सिद्धांतों का मूल्यांकन करना।
  - सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्संबंधों पर उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को समझना।
- **शोध प्रश्न (Research Questions):**
  - डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय की प्राप्ति में जाति प्रथा सबसे बड़ी बाधा कैसे है?
  - आर्थिक समानता के लिए उन्होंने किस प्रकार के राजनीतिक और संवैधानिक मॉडल का समर्थन किया?
- **परिकल्पना (Hypothesis):** डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि वह सामाजिक न्याय और राज्य-नियंत्रित आर्थिक समानता पर आधारित एक समतावादी समाज (Egalitarian Society) की स्थापना का ढांचा था।

2. साहित्य की समीक्षा (Literature Review)

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों पर वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शोध हुआ है। उनके बहुआयामी दृष्टिकोण को समझने के लिए समकालीन और आधुनिक विचारकों के साहित्यों की समीक्षा को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समझने के लिए प्रख्यात समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक **गेल ओमवेट (Gail Omvedt)** का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी पुस्तक *"Ambedkar: Towards an Enlightened India"* में ओमवेट तर्क देती हैं कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय केवल सुधारवादी नहीं, बल्कि क्रांतिकारी था। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांधी जी जहाँ जाति व्यवस्था के भीतर सुधार (अस्पृश्यता निवारण) चाहते थे, वहीं अम्बेडकर का मानना था कि जब तक जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन (Annihilation of Caste) नहीं होगा, तब तक सच्चे सामाजिक न्याय की स्थापना असंभव है।

फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक **क्रिस्टोफ़ जाफ़लो (Christophe Jaffrelot)** ने अपनी पुस्तक *"Dr. Ambedkar and Untouchability: Fighting the Indian Caste System"* में अम्बेडकर की राजनीतिक लामबंदी (Political Mobilization) का विश्लेषण किया है। **जाफ़लो** के अनुसार, अम्बेडकर ने दलितों को एक 'परिवर्तनीय शक्ति' (Transformative Force) के रूप में स्थापित किया। उन्होंने रेखांकित किया कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) और वंचितों के लिए 'सकारात्मक कार्रवाई' (Affirmative Action/आरक्षण) के इर्द-गिर्द घूमता है, जो सामाजिक लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है।

अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर प्रख्यात अर्थशास्त्री **सुखदेव थोराट (Sukhdeo Thorat)** का कार्य मार्गदर्शक रहा है। अपनी पुस्तक *"Ambedkar's Role in Economic Planning and Water Policy"* में थोराट ने अम्बेडकर के 'राज्य समाजवाद' (State Socialism) की विस्तृत व्याख्या की है। **थोराट** के अनुसार, अम्बेडकर केवल एक सामाजिक सुधारक नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने स्थापित किया कि अम्बेडकर जाति को केवल 'श्रम का विभाजन' (Division of Labour) नहीं, बल्कि 'श्रमिकों का विभाजन' (Division of Labourers) मानते थे। थोराट का विश्लेषण दिखाता है कि अम्बेडकर ने भूमि के राष्ट्रीयकरण और सामूहिक खेती (Collective Farming) की वकालत इसलिए की थी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फंसे भूमिहीन दलितों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके।

इसी प्रकार, **आनंद तेलतुम्बड़े (Anand Teltumbde)** ने अपने लेखों और पुस्तकों में अम्बेडकर के मार्क्सवाद और बौद्ध धर्म के अंतर्संबंधों का विश्लेषण किया है। तेलतुम्बड़े के अनुसार, अम्बेडकर आर्थिक समानता के लिए मार्क्सवादी लक्ष्यों (निजी संपत्ति का उन्मूलन और शोषण का अंत) से सहमत थे, लेकिन वे इसके लिए लोकतांत्रिक और अहिंसक साधनों (Constitutional Means) को अनिवार्य मानते थे।

प्रसिद्ध इतिहासकार **रामचंद्र गुहा (Ramachandra Guha)** ने अपनी पुस्तक *"India After Gandhi"* में संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण किया है। **गुहा** लिखते हैं कि अम्बेडकर इस बात से भली-भांति परिचित थे कि राजनीतिक समानता (एक व्यक्ति, एक वोट) तब तक बेमानी है जब तक समाज में व्यापक सामाजिक और आर्थिक असमानता मौजूद है।

भारतीय संविधान के विशेषज्ञ **ग्रैनविले ऑस्टिन (Granville Austin)** ने अपनी कालजयी कृति *"The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation"* में अम्बेडकर के संवैधानिक दृष्टिकोण को 'सामाजिक क्रांति का उपकरण' (An Instrument of Social Revolution) कहा है। ऑस्टिन के अनुसार, संविधान के 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (DPSP) और 'मौलिक अधिकार' (Fundamental Rights) सीधे तौर पर अम्बेडकर के उस राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो राज्य को लोक कल्याण और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति देता है।

प्रसिद्ध कानूनी विद्वान और न्यायविद् **प्रो. उपेंद्र बक्षी** ने अपने विभिन्न शोध पत्रों और विशेष रूप से अपने लेख *"Babasaheb Ambedkar: The Architect of a Counter-Hegemonic Constitutionalism"* में डॉ. अम्बेडकर के राजनीतिक और विधिक दृष्टिकोण का गहरा विश्लेषण किया है। **अध्ययन का निष्कर्ष:** बक्षी तर्क देते हैं कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत केवल "सकारात्मक कार्रवाई" (आरक्षण) तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने **'प्रति-हेजेमोनिक संवैधानिकता'**

(Counter-Hegemonic Constitutionalism) की नींव रखी। इसका अर्थ है कि उन्होंने संविधान को केवल सरकार चलाने की किताब नहीं माना, बल्कि उसे पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक सत्ता संरचनाओं (जैसे जाति और जमींदारी) को पलटने और समाज के सबसे शोषित तबके को मानवाधिकार दिलाने वाले एक जीवंत उपकरण के रूप में स्थापित किया।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व योजना आयोग के सदस्य **डॉ. नरेंद्र जाधव** ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तकों *"Ambedkar: Awakening India's Social Conscience"* और *"Dr. Ambedkar's Economic Thoughts and Philosophy"* में अम्बेडकर के विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। **अध्ययन का निष्कर्ष:** जाधव ने अपने शोध में यह स्थापित किया कि डॉ. अम्बेडकर भारतीय इतिहास के पहले ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी थे जो एक प्रशिक्षित और पेशेवर अर्थशास्त्री भी थे। जाधव के विश्लेषण के अनुसार, अम्बेडकर का मानना था कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि **संसाधनों और अवसरों का दोषपूर्ण सामाजिक वितरण** है। उन्होंने यह दर्शाया कि कैसे अम्बेडकर के मौद्रिक अर्थशास्त्र (Monetary Economics), कृषि सुधारों और श्रम नीति संबंधी विचारों ने आधुनिक भारत के केंद्रीय बैंक (RBI) और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं (जैसे दामोदर घाटी परियोजना) की रूपरेखा तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

2.1 शोध का अंतराल (Research Gap)

उपरोक्त साहित्यों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शोधकर्ताओं ने **डॉ. अम्बेडकर** के सामाजिक न्याय (जाति उन्मूलन) या उनके संवैधानिक योगदान पर अलग-अलग अध्ययन किया है। वर्तमान साहित्य में इस बात का अभाव खटकता है कि **कैसे उनका सामाजिक न्याय का मॉडल सीधे तौर पर उनके आर्थिक समानता (राज्य समाजवाद) के मॉडल से जुड़ा हुआ है।**

विशेष रूप से, 21वीं सदी के उत्तर-उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण (Globalization) और निजीकरण के दौर में, जहाँ राज्य की आर्थिक भूमिका सिकुड़ रही है, अम्बेडकर का 'राज्य-निर्देशित आर्थिक समानता' का सिद्धांत कितना व्यावहारिक है? यह शोध पत्र इसी अंतराल (Gap) को पाटने का प्रयास करता है, जहां सामाजिक और आर्थिक समानता को दो अलग-अलग खांचों में देखने के बजाय उन्हें अम्बेडकर के एकल राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में विश्लेषित किया गया है।

3. शोध कार्यप्रणाली (Research Methodology)

किसी भी राजनीतिक और सामाजिक शोध की प्रामाणिकता उसकी कार्यप्रणाली की सुदृढ़ता पर निर्भर करती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता संबंधी विचारों का राजनीतिक विश्लेषण करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित व्यवस्थित शोध कार्यप्रणाली को अपनाया गया है:

3.1 शोध का प्रकार (Type of Research)

यह शोध मुख्य रूप से **वैचारिक (Conceptual)**, **विश्लेषणात्मक (Analytical)** और **ऐतिहासिक-वर्णनात्मक (Historical-Descriptive)** प्रकृति का है।

- **वैचारिक दृष्टिकोण:** इसके अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित 'सामाजिक न्याय', 'राज्य समाजवाद' (State Socialism), 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) और 'समानता' की अवधारणाओं का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है।
- **विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण:** यह शोध केवल उनके विचारों का विवरण मात्र प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उनके राजनीतिक निर्णयों, संवैधानिक बहसों और नीतियों के अंतर्निहित कारणों तथा उनके दूरगामी प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) करता है।
- **गुणात्मक अनुसंधान (Qualitative Research):** चूंकि यह अध्ययन मानवीय विचारों, सामाजिक संरचनाओं और राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, इसलिए इसमें सांख्यिकीय या मात्रात्मक (Quantitative) विधियों के स्थान पर गुणात्मक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है।

3.2 तथ्य एवं तथ्यों के स्रोत (Sources of Data/Information)

इस शोध पत्र की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक (Primary) और द्वितीयक (Secondary) दोनों प्रकार के स्रोतों का सघन उपयोग किया गया है:

3.2.1 प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)

प्राथमिक स्रोत इस शोध के मूल आधार हैं, जो डॉ. अम्बेडकर के मौलिक विचारों को बिना किसी मिलावट के सीधे प्रस्तुत करते हैं। इनमें शामिल हैं:

- **डॉ. अम्बेडकर का मूल लेखन और कृतियाँ:** उनके द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ जैसे–
    - *Annihilation of Caste* (जाति का उच्छेद - 1936) - सामाजिक न्याय और जाति व्यवस्था के विश्लेषण हेतु।
    - *States and Minorities* (राज्य और अल्पसंख्यक - 1947) - उनके आर्थिक मॉडल और 'राज्य समाजवाद' को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक दस्तावेज।
    - *The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables?* (1948).
    - *Philosophy of Hinduism* और *Buddha or Karl Marx* - वैचारिक तुलना के लिए।
- **भाषण और वक्तव्य:** डॉ. अम्बेडकर के ऐतिहासिक भाषण, विशेष रूप से महाराष्ट्र के महाड़ सत्याग्रह (1927) का भाषण, गोलमेज सम्मेलनों (1930-32) में दिए गए वक्तव्य, और 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया उनका अंतिम ऐतिहासिक भाषण।
- **संविधान सभा के वाद-विवाद (Constituent Assembly Debates - CAD):** भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर द्वारा विभिन्न अनुच्छेदों (विशेषकर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व) पर दिए गए तर्क, स्पष्टीकरण और हस्तक्षेप।

- **सरकारी दस्तावेज और रिपोर्ट्स:** डॉ. अम्बेडकर द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य (Labor Member, 1942-46) के रूप में तैयार की गई नीतियां, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज।

3.2.2 द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources)

प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को व्यापक संदर्भ देने और समकालीन परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है:

- **प्रामाणिक पुस्तकें:** डॉ. अम्बेडकर के जीवन और दर्शन पर प्रख्यात विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जैसे गेल ओमवेट की *"Ambedkar: Towards an Enlightened India"*, क्रिस्टोफ़ जाफ़्रलो की *"Dr. Ambedkar and Untouchability"*, और डॉ. नरेंद्र जाधव की *"Dr. Ambedkar's Economic Thoughts"*।
- **शोध पत्र एवं अकादमिक जर्नल्स (Research Papers & Journals):** 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' (EPW), 'इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस' (IJPS), और अन्य प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित समीक्षात्मक लेख।
- **समीक्षात्मक अध्ययन:** सुखदेव थोराट और उपेंद्र बक्षी जैसे विचारकों के वे शोध पत्र जो अम्बेडकरवादी अर्थशास्त्र और संवैधानिक न्याय की आधुनिक व्याख्या करते हैं।

3.3 तथ्य विश्लेषण की पद्धति (Method of Data Analysis)

- **पाठ्य-विश्लेषण (Textual Analysis):** डॉ. अम्बेडकर के ग्रंथों और भाषणों के शब्दों, वाक्यों और उनके राजनीतिक निहितार्थों का गहन विश्लेषण किया गया है।
- **तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method):** अम्बेडकर के सामाजिक-आर्थिक विचारों की तुलना उनके समकालीन विचारों (जैसे गांधीवादी ग्राम-स्वराज और मार्क्सवादी सर्वहारा क्रांति) से की गई है, ताकि उनके दृष्टिकोण की विशिष्टता को रेखांकित किया जा सके।
- **ऐतिहासिक संदर्भिकीकरण (Historical Contextualization):** उनके विचारों को उस समय की विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों (औपनिवेशिक भारत और नव-स्वतंत्र भारत) के संदर्भ में रखकर परखा गया है।

4. समकालीन प्रासंगिकता एवं चुनौतियां (Contemporary Relevance)

21वीं सदी का वैश्विक और भारतीय परिदृश्य तीव्र संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजर रहा है। डॉ. अम्बेडकर के विचार केवल मध्य-20वीं सदी के भारत के औपनिवेशिक मुक्ति-संग्राम तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी अंतर्दृष्टि समकालीन समय में और अधिक प्रासंगिक हो गई है। बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति के इस दौर में उनके सामाजिक-आर्थिक दर्शन का प्रासंगिक मूल्यांकन निम्नलिखित तीन उप-खंडों के अंतर्गत किया जा सकता है:

4.1 वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में अम्बेडकर के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता

वर्ष 1991 के एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) सुधारों के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था का चरित्र तेजी से बदला है। इस संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर का 'राज्य समाजवाद' (State Socialism) का सिद्धांत एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

- **कमजोर पड़ता कल्याणकारी राज्य (Welfare State):** डॉ. अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ *'States and Minorities'* में तर्क दिया था कि प्रमुख उद्योगों और भूमि का स्वामित्व राज्य के पास होना चाहिए ताकि निजी पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक श्रमिकों और शोषितों का शोषण न कर सके। वर्तमान में जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का तेजी से विनिवेश (Disinvestment) और निजीकरण हो रहा है, तब अम्बेडकर की यह आशंका सच साबित हो रही है कि राज्य की आर्थिक भूमिका सिकुड़ने से हाशिए के समाजों की आर्थिक सुरक्षा सबसे पहले खतरे में पड़ती है।
- **बढ़ती आर्थिक असमानता:** 'ऑक्सफैम' (Oxfam) और 'वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब' की हालिया रिपोर्ट दर्शाती हैं कि भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्रित हो चुका है। अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि धन का समान वितरण न हो। वर्तमान आर्थिक असमानता उनके इसी विचार की प्रासंगिकता को रेखांकित करती है कि अनियंत्रित पूंजीवाद सामाजिक न्याय का विरोधी है।
- **श्रम सुधार और अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector):** भारत का लगभग 90% श्रम बल असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा (भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, आदि) का अभाव है। डॉ. अम्बेडकर ने वायसराय की परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए 8 घंटे के कार्यदिवस, मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) और न्यूनतम मजदूरी की वकालत की थी। आज के 'गिग इकॉनमी' (Gig Economy) के दौर में, जहाँ जोमैटो, स्विगी या ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स के कर्मचारी (Gig Workers) श्रम अधिकारों से वंचित हैं, अम्बेडकर के श्रम-कल्याणकारी विचार अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

4.2. 21वीं सदी में सामाजिक न्याय के नए आयाम

बदलते समय के साथ सामाजिक अन्याय के तौर-तरीके बदले हैं, जिसके कारण सामाजिक न्याय की परिभाषा का भी विस्तार हुआ है।

- **निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग:** पारंपरिक रूप से आरक्षण नीति केवल सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक संस्थानों तक सीमित रही है। परंतु, निजीकरण के कारण सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और रोजगार के नए अवसर केवल निजी क्षेत्र (Private Sector) में सृजित हो रहे हैं। चूंकि निजी क्षेत्र में समाज के वंचित वर्गों (SC/ST/OBC) का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इसलिए समकालीन विमर्श में "निजी क्षेत्र में आरक्षण" या "सकारात्मक कार्रवाई" की मांग जोर पकड़ रही है। यह मांग अम्बेडकर के उस सिद्धांत के अनुरूप है जिसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक प्रतिनिधित्व के बिना किसी भी वर्ग का वास्तविक उत्थान नहीं हो सकता।
- **डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) और सोशल जस्टिस:** वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। भारत में 'डिजिटल डिवाइड' (शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब के बीच इंटरनेट और तकनीक तक पहुंच का

अंतर) एक नया सामाजिक भेद बन गया है। महामारी और उसके बाद के दौर में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग ने इस खाई को और चौड़ा किया है। अम्बेडकर ने शिक्षा को "शेरनी का दूध" कहा था; आज के संदर्भ में 'डिजिटल साक्षरता' और 'तकनीक तक समान पहुंच' ही वह आधुनिक शिक्षा है, जिसके बिना सामाजिक न्याय अधूरा है।

4.3 अम्बेडकर के दृष्टिकोण के आलोक में वर्तमान सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

यदि वर्तमान भारत सरकार की लोक-कल्याणकारी और आर्थिक नीतियों को डॉ. अम्बेडकर के वैचारिक चश्मे से देखा जाए, तो इसके दोनों पक्ष (सकारात्मक और सुधारात्मक) सामने आते हैं:

सरकारी नीति/योजना	**अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से सकारात्मक पक्ष**	**आलोचनात्मक/सुधारात्मक पक्ष (चुनौतियां)**
जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रयी और DBT	वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और बिचौलियों का अंत। अम्बेडकर के 'अंतिम व्यक्ति के सशक्तिकरण' के अनुकूल।	केवल बैंक खाता खोलना पर्याप्त नहीं है जब तक कि वास्तविक क्रय शक्ति (Purchasing Power) और आय में वृद्धि न हो।
मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया	औद्योगिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन। अम्बेडकर कृषि पर निर्भरता कम करना चाहते थे।	इन योजनाओं का लाभ तकनीकी रूप से कुशल और उच्च वर्ग तक अधिक सीमित रहा है। ग्रामीण दलित-बहुजन श्रम बल अभी भी इससे दूर है।
नयी शिक्षा नीति (NEP 2020)	शिक्षा के आधुनिकरण और व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills) पर जोर।	उच्च शिक्षा के बढ़ते बजटीय कटौतियों और निजीकरण के कारण वंचित वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महंगी और दुर्गम होती जा रही है।
श्रम संहिताएं (Labour Codes)	कई पुराने कानूनों को मिलाकर चार संहिताओं में सरल बनाना।	श्रमिक संगठनों का आरोप है कि नए नियम मालिकों को 'हायर एंड फायर' (आसानी से नौकरी से निकालने) की छूट देते हैं, जो अम्बेडकर की श्रम-सुरक्षा नीति के विपरीत है।

संक्षेप में, डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण समकालीन समय में एक "चेतावनी और समाधान" दोनों के रूप में विद्यमान है। जहाँ एक ओर राज्य समर्थित पूंजीवाद और तकनीकी असमानता उनके द्वारा परिकल्पित समतावादी समाज के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका संवैधानिक

ढांचा और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का दर्शन इन चुनौतियों से निपटने का सबसे तार्किक और शांतिपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and Suggestions)

प्रस्तुत शोध पत्र डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता संबंधी राजनीतिक विमर्श का एक व्यापक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस शोध के निष्कर्षों को पूर्व-निर्धारित शोध उद्देश्यों और परिकल्पना के प्रमाणीकरण के आलोक में निम्नलिखित बिंदुओं के तहत संक्षेपित किया जा सकता है:

6.1 शोध के उद्देश्यों का मूल्यांकन

1. **प्रथम उद्देश्य का विश्लेषण (सामाजिक न्याय की अवधारणा):** शोध से यह सिद्ध होता है कि डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय केवल एक नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) पर आधारित एक कानूनी और राजनीतिक अनिवार्यता थी। उन्होंने माना कि हिंदू सामाजिक संगठन की क्रमिक असमानता (Graded Inequality) को समाप्त किए बिना 'मानवीय गरिमा' की स्थापना असंभव है। उनके लिए सामाजिक न्याय का अर्थ स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के त्रिसूत्र पर आधारित समाज था।
2. **द्वितीय उद्देश्य का मूल्यांकन ('राज्य समाजवाद' और आर्थिक समानता):** शोध दर्शाता है कि अम्बेडकर केवल सामाजिक सुधारक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गरीबी और वंचना का मूल कारण दोषपूर्ण सामाजिक संरचना है। इसके समाधान हेतु उन्होंने *'States and Minorities'* में **'राज्य समाजवाद' (State Socialism)** का मॉडल दिया, जिसमें प्रमुख उद्योगों, भूमि और बीमा के राष्ट्रीयकरण की वकालत की गई ताकि निजी पूंजीवाद शोषितों का आर्थिक उत्पीड़न न कर सके।
3. **तृतीय उद्देश्य की समझ (सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का अंतर्संबंध):** विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र एक 'त्रिमूर्ति' (Trinity) के समान हैं, जिन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया उनका भाषण इसका अकादमिक प्रमाण है, जहाँ उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक लोकतंत्र (एक व्यक्ति, एक वोट) तब तक अधूरा और अस्थायी है जब तक कि समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित न हो जाए।

6.2 परिकल्पना का प्रमाणीकरण (Validation of Hypothesis)

इस शोध की मूल परिकल्पना थी कि *"डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र ब्रिटिश शासन से भारतीय अभिजात वर्ग को सत्ता का हस्तांतरण (Transfer of Power) नहीं था, बल्कि वह सामाजिक न्याय और राज्य-नियंत्रित आर्थिक समानता पर आधारित एक समतावादी समाज (Egalitarian Society) की स्थापना का ढांचा था।"*

यह शोध इस परिकल्पना को पूरी तरह **सत्य और प्रामाणिक** सिद्ध करता है। प्राथमिक स्रोतों (संविधान सभा के वाद-विवाद) और उनके ग्रंथों के विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि अम्बेडकर कांग्रेस के पारंपरिक 'स्वराज' (जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित था) के विरोधी थे। वे एक ऐसे

'संवैधानिक लोकतंत्र' का निर्माण करना चाहते थे जो राज्य को लोक-कल्याणकारी भूमिका सौंपकर समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति (दलित-बहुजन और श्रमिक) को सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक दासता से मुक्ति दिलाए। अतः उनका दृष्टिकोण पूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्रांति का था, न कि मात्र शासकों के बदलने का।

6.3 व्यावहारिक सुझाव (Practical Suggestions)

डॉ. अम्बेडकर के सिद्धांतों के आलोक में समकालीन भारत में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक और नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए:

- **निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action in Private Sector):** चूंकि आर्थिक उदारीकरण के बाद रोजगार के अवसर सार्वजनिक क्षेत्र से खिसककर निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, अतः कॉर्पोरेट और निजी उद्योगों में वंचित वर्गों (SC/ST/OBC) के लिए 'विविधता नीति' (Diversity Policy) या स्वैच्छिक आरक्षण प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिससे आर्थिक अवसरों का लोकतांत्रीकरण हो सके।
- **डिजिटल साक्षरता और तकनीकी समानता:** 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने के लिए सरकार को वंचित बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट तथा तकनीकी शिक्षा को मौलिक अधिकार की तरह सुलभ बनाना चाहिए। अम्बेडकर के "शिक्षित बनो" के नारे को आज "डिजिटल रूप से सक्षम बनो" के रूप में लागू करने की आवश्यकता है।
- **कृषि और असंगठित क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण:** अम्बेडकर के कृषि सुधारों के दृष्टिकोण को अपनाते हुए छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारी खेती (Cooperative Farming) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, 'गिग इकॉनमी' (जैसे डिलीवरी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स) के श्रमिकों के लिए कड़े श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, स्वास्थ्य बीमा) सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **संवैधानिक नैतिकता का संस्थागत प्रसार:** विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और अम्बेडकर के 'संवैधानिक उपचारों' के दर्शन को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि समाज में 'जातिगत श्रेष्ठता' के बोध को तार्किक रूप से समाप्त कर 'बंधुत्व' (Fraternity) की भावना का विकास किया जा सके।

7. संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- **अम्बेडकर, बी. आर.** (1936). *एनिहिलेशन ऑफ कास्ट विद अ रिप्लाई टू महात्मा गांधी* (जाति का उच्छेद). अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस: खंड 1. शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार. पृ. 45।
- **अम्बेडकर, बी. आर.** (1947). *स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज: व्हॉट आर देयर राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया* (राज्य और अल्पसंख्यक). ठाकर एंड कंपनी लिमिटेड. पृ. 28।
- **अम्बेडकर, बी. आर.** (1948). *द अनटचेबल्स: हू वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स?* (अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बने?). अमृत बुक कंपनी. पृ. 110।
- **अम्बेडकर, बी. आर.** (1956). *द बुद्धा एंड हिज धम्मा* (बुद्ध और उनका धम्म). सिद्धार्थ कॉलेज पब्लिकेशन, पृ. 250, मार्क्सवाद और बौद्ध धर्म की तुलना।

- **संविधान सभा के वाद-विवाद (CAD).** (1949). *आधिकारिक रिपोर्ट: खंड XI (25 नवंबर 1949).* लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार. (लोकतंत्र की त्रिमूर्ति पर अंतिम भाषण), पृ. 972।.

पुस्तकें (Books):

- **ऑस्टिन, जी.** (1966), *द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन* , (भारतीय संविधान: एक राष्ट्र की आधारशिला), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. (सामाजिक क्रांति का उपकरण), पृ. 50।.
- **बक्षी, यू.** (1995). *बाबासाहेब अम्बेडकर: द आर्किटेक्ट ऑफ अ काउंटर-हेजेमोनिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म* (प्रति-हेजेमोनिक संवैधानिकता के शिल्पकार), *अम्बेडकर एंड सोशल जस्टिस* (खंड -1), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरका, पृ. 112।
- **गुहा, आर.** (2007). *इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी* (गांधी के बाद भारत). मैकमिलन, (विरोधाभासों के जीवन की व्याख्या), पृ. 123।.
- **जाफ़रलो, सी.** (2005). *डॉ. अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी: फाइटिंग द इंडियन कास्ट सिस्टम* (डॉ. अम्बेडकर और अस्पृश्यता), कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस. (दलित राजनीतिक लामबंदी), पृ. 140।
- **जाधव, एन.** (2014). *अम्बेडकर: अवाकनिंग इंडियाज सोशल कॉन्शियस* (अम्बेडकर: भारत की सामाजिक चेतना का जागरण), कोणार्क पब्लिशर्स, पृ. 88।
- **जाधव, एन.** (2015), *डॉ. अम्बेडकर'स इकोनॉमिक थॉट्स एंड फिलॉसफी* (डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचार और दर्शन). अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, (कृषि और मौद्रिक नीतियां), पृ. 202।
- **ओमवेट, जी.** (2004). *अम्बेडकर: टुवर्ड्स एन एनलाइटंड इंडिया* (अम्बेडकर: एक प्रबुद्ध भारत की ओर), पेंग्विन बुक्स, (जाति उन्मूलन बनाम गांधीवादी सुधार), पृ. 167।
- **थोराट, एस.** (2006). *अम्बेडकर'स रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड वॉटर पॉलिसी* (आर्थिक नियोजन और जल नीति में अम्बेडकर की भूमिका). शिप्रा पब्लिकेशंस, (श्रमिकों के अधिकार और बांध परियोजनाएं) पृ. 58।

शोध पत्र एवं अकादमिक लेख (Journals & Articles):

- **थोराट, एस., एवं न्यूमैन, के. एस.** (2007). कास्ट एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन: कॉजेस, कॉन्सिंक्वेन्सेस एंड रेमेडीज (जाति और आर्थिक भेदभाव). *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 42(41), पृ. 412।.
- **तेलतुम्बड़े, ए.** (2011). अम्बेडकर एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कास्ट (अम्बेडकर और जाति की राजनीतिक अर्थव्यवस्था), *द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस*, 72(3), पृ. 615।

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

RESEARCH GATEWAY

AROGYAM ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM